



राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग



क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2016

जयपुर, दिनांक : 23-10-2024

आदेश

दिनांक 31.10.2024 को दीपावली पर्व होने के कारण जो कि राजपत्रित अवकाश है, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित) के माह अक्टूबर, 2024 के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान दिनांक 30.10.2024 को/से कर दिया जावे। इसी प्रकार पेंशन भुगतान कार्यालयों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी उनके माह अक्टूबर, 2024 की पेंशन का भुगतान उपरोक्तानुसार कर दिया जावे।

यह आदेश दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों पर भी लागू होगा।

आज्ञा से,

(देबाशीष पृष्टि)

शासन सचिव वित्त (बजट)

23/10/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. अति.मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप-मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
10. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।
11. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई, अंकेक्षण), राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त कोषाधिकारी एवं उप-कोषाधिकारी।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

(मनीष माथुर)

संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 06/2024)